::कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर, जोधपुर::

ईमेल–dc-jod-rj@nic.in वेबसाईट–www.districts.ecourts.gov.in/jodhpurmetro

क्रमांकः–स्था./2021/568 दिनांकः– 24-12-2021

::कार्यालय आदेश::

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या– RHC/Exam.Cell/Sub.Court/Steno/2020/17 दिनांक 18.01.2020, राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)81/2021/1115 दिनांक 23.12.2021 व राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय **(अंग्रेजी)** के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या F.15(1)FD/Rules/2017, जयपुर दिनांक 30.10.2017 के Schedule IV के अनुसार 23,700/– रूपए मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

क्र.स.	मेरिट संख्या	रोल नंबर	जन्म दिनांक	अभ्यर्थी का नाम	लिंग	संवर्ग	संवर्ग जिसके विरूद्ध चयन हुआ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	58076	15-12-1997	KASHISH SANKHLA	FEMALE	OBC-NCL	GEN

1. सभी नियुक्तियाँ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका संख्या 12836/2021 एवं 12897/2021 एवं इस संबंध में प्रस्तुत एवं भविष्य में प्रस्तुत होने वाली अन्य याचिका एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाए जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अंतराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर उपर्युक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जाएगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण–पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई जाती है, तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनाएं या सत्यापन सही नहीं पाए जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाए जाने पर बिना नोटिस दिए सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांकः

दिनांकः 24-12-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. प्रभारी अधिकारी लेखानुभाग, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर को दो प्रति में।
3. सुश्री कशिश सांखला पुत्री श्री नैनूराम सांखला, निवासी– 37ए, राम मोहल्ला, दामोदर कॉलानी, नागौरी गेट, जोधपुर मो.न. 8619543590।
4. व्यक्तिगत पत्रावली सुश्री कशिश सांखला।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।